भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *186

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

कंपनियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सुकर बनाना

***186. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में कारपोरेट अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) ओडिशा में व्यवसाय करने में सुगमता और कंपनियों के लिए नियामक बोझ को कम करने के संबंध में इन कदमों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) ओडिशा में कार्यरत कंपनियों के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने हेतु की गई पहल की स्थिति और अब तक हासिल की गई प्रगति क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 09.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *186 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): भारत सरकार ने कंपनियों के लिए कारपोरेट अनुपालन अपेक्षाओं को सुव्यवस्थित करने, व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने, नियामक बोझ को कम करने और कंपनियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें ओडिशा की कंपनियां शामिल हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

(i) ई-प्ररूप फ़ाइल करने और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एमसीए21 पोर्टल का कार्यान्वयन, अनुपालन को दक्ष और प्रयोक्ता-अनुकूल बनाना।

(ii) एसपीआईसीई+ (इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनियों को शामिल करने के लिए सरलीकृत प्रारूप) को 2016 में कंपनी निगमन और पंजीकरण प्रक्रियाओं के लिए पेश किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (जीएसटीआईएन), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) पंजीकरण, और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पंजीकरण जैसी सेवाओं को एसपीआईसीई+ के माध्यम से दोहराए जाने वाले डेटा सबमिशन को कम करने और अंतर-एजेंसी समन्वय बढ़ाने के लिये एमसीए फाइलिंग को अन्य प्लेटफार्मों के साथ जोड़ना।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक उल्लंघनों का गैर-अपराधीकरण चरणबद्ध तरीके से किया गया है। कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 2020 के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनेक प्रशमनीय अपराधों को एक इन-हाउस एडजुडिकेशन मैकेनिज्म (आईएएम) में स्थानांतरित कर दिया गया था।

(iv) कंपनियों को विशेष रूप से महामारी के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) और असाधारण आम बैठकें (ईजीएम) आयोजित करने की अनुमति देना।

(v) स्टार्टअप्स, लघु कंपनियों और एकल व्यक्ति कंपनियों के लिए अनुपालन को कम करना:

- लघु कंपनियों के लिए निर्धारित संक्षिप्त वार्षिक विवरणी ।
- 15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली सभी कंपनियों को शामिल करने या गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के लिए 20 सदस्यों तक के लिए शून्य शुल्क लिया जाता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 446 बी के अनुसार लघु कंपनियां कम शास्ति की हकदार हैं।

(vi) प्ररूपों और अनुमोदन पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए निम्नानुसार केन्द्रीकृत केन्द्रों की स्थापना:

- केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी): 2016 में शुरू किया गया, कंपनियों के निगमन और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के पंजीकरण पर फोकस करता है। यह तेजी से और अधिक कुशल अनुमोदन निगमन प्ररूपों को सुनिश्चित करता है।
- सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी): 2024 में शुरू किया गया, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों द्वारा दायर 12 नॉन एसटीपी ई-फॉर्म के प्रसंस्करण को संभालता है। यह वैधानिक अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए प्ररूपों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है।
- सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट (सी-पेस): 2023 में शुरू किया गया, कंपनियों को बंद करने के लिए आवेदनों के निपटान पर फोकस करता है।

उपरोक्त उपायों ने प्रक्रियात्मक देरी को कम किया है, पारदर्शिता में सुधार किया है, और अनुपालन लागत को कम किया है, उद्यमशीलता और निवेश को प्रोत्साहित किया है। पिछले 6 वर्षों में ओडिशा में निगमित कंपनियों की संख्या नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**ओडिशा में पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या**
1	2019-20	27,233
2	2020-21	30,394
3	2021-22	33,634
4	2022-23	36,458
5	2023-24	39,687
6	2024-25 30 नवंबर, 2024 तक	41,693

****